मुख्य अभियंता–3, पटना का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–II मु0अ0–3,त0स्वी0–07–475/22

प्रेषक,

/पटना,दिनांक–

मुख्य अभियंता–3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, **समस्तीपुर**

विषयः– शीर्ष **3054** योजना के अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, **मंझौल–बखरी** के अधीन स्वीकृत **01 अदद** पथ के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक–1310 अनु0, दिनाक–16.09.2022 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम–4–53/2007 6439/वि0 पटना, दिनांक 28.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, **मंझौल–बखरी** के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के साथ संलग्न प्रशिष्ट 'क' के स्तम्भ 07 में अंकित है।

2. बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–1376 दिनांक–06.09.2022 के द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है।
3. निर्माण कार्य **3054** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल/पुलियाँ स्थल के अवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नही होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
6. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
8. अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, **समस्तीपुर** ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं है, का दर विशलेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
9. प्राक्कलन में क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है।

अनु0–स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन
ह0/–
मुख्य अभियंता–3, पटना।

ज्ञापांक– 2355 /पटना,दिनांक– 20.9.22

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, **मंझौल–बखरी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

20/9/22

मुख्य अभियंता–3, पटना।

प्रावैधिक टिप्पणी

परियोजना का नाम :–

परिशिष्ट ' क ' के स्तम्भ 3 के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग:– परिशिष्ट ' क ' के स्तम्भ 5 से 6 के अनुसार

विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 7 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य **3054** योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **समस्तीपुर** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वंय कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हो तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृती की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:–

   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण के लिए एन0एन0आर0डी0ए0/एस0टी0ए0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर है, यह मानते हुए गणना की गयी है कि आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाँध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एव स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निश्पादन में **3054** योजना की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।

17. अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से **3054** योजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय–समय निर्गत ग्रामीण विकास विभाग / **NRIDA,** भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।

18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।

19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।

20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।

21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो ले कि एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।

22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण–नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेश प्रकाशन–।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।

23. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विशलेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ तो।

24. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।

25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।

26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण–पत्र देंगे।

27. प्राक्कलन में प्रयुक्त तकनीकी ऑकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।

28. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग / अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर न्यूनतम दर का प्रावधान अधीक्षण अभियंता, सुनिश्चित करेंगे।

29. अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से दर विशलेषण की जॉच कर लेंगे। यदि त्रुटि हो, तो अपने स्तर से सुधार कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

20/9/16

मुख्य अभियंता–3, पटना।

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मंझौल–बखरी के अधीन शीर्ष **MR-3054** योजनान्तर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची:–

sl no.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in k.m)	Administrative Approval		Total Cost (in Lakh)
				Department Ref Lett. No. & Date	Total Cost (in Lakh)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Manjhaul Bakhri	T01 Pahsra Bagras Road Chakmuzzaffar Se Kahar Tola	1.550	1376/ 06.09.2022	112.75	117.22

20/9/22

Chief Engineer-3
R.W.D, Patna

A/A / vide letter No 1976 Patna dated 6.9.2022 — Rs 112.75 Lac

T.S — 117.22 Lac date 20/9/22

As per R.O.B Const Cost — 1,01,04,585 = 00

As per R.O.B Maintenance — 16,17,983 = 00

Total — 1,17,22,568 = 00

B.O.Q APPROVED FO.

Construction Rs 1,01,04,584 = 00 .Cror One.

One Lakh four Thousand five Hundred Eighty four only

Maintenance by Rs 16,17,983 = 00 Lakh Sixteen

Seventeen Thousand Nine Hundred Eighty three only

11/10/22

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, [illegible]